	अनुबंध 2 - अवयस्क <sup>ह</sup>	के मामले में भरा जाए	
ग्राहक आईडी:		सीकेवाईसी नं.	
खाता सं.		नाम*:	
अभिभावक का नाम			
	संबंधित व्यक्ति को जोड़ना	संबंधित व्यक्ति को हटाना	
	अवयस्क के साथ संबंध	अभिभावक /समनुदेशिती /अधिकृत प्रतिनिधि की ग्राहक आईडी (यदि अभिभावक के पास बैंक में मौजूदा ग्राहक आईडी नहीं है, तो अभिभावक के सीआईएफ भाग -1 फॉर्म को निरपवाद रूप से प्राप्त किया जा	
मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि अवयस्क, जो मेरा है, उसकी जन्म तिथि है ि ि ि ि जिसका/उसकी नैसर्गिक और क़ानूर्न अभिभावक/अदालत के आदेश दिनांक द्वारा नियुक्त किया गया अभिभावक हूं। (प्रतिलिपि संलग्न) जब तक उक्त अवयस्क, वयस्क नहीं हो जाता, मैं उपरोक्त खाते में किसी भी प्रकार वे सभी भावी लेनदेन में उक्त अवयस्क का प्रतिनिधित्व करूंगा। मेरे द्वारा अवयस्क के खाते से की गई किसी भी निकासी/लेनदेन के लिए उपरोक्त अवयस्क के दावे के एवज मैं बैंक को क्षतिपूर्ति करूंगा / गी			
संबंधित व्यक्ति का प्रकार* अवयस्क का अभिभावक समनुदेशिती अधिकृत प्रतिनिधि			
		अभिभावक के हस्ताक्षर	

Annexure II – To be Fille	d in Case of Minor		
Customer ID: Account No. Name of Guardian	CKYC: No.:		
Addition of Related Person	Deletion of Related Person		
Relationship with Minor	Cust ID of Guardian/Assignee/ Authorized Representative  (CIF part-I Form of Guardian is to be obtained invariably if guardian does not have existing Cust ID in Bank)		
I hereby declare that date of birth of the minor who is my			
Related Person type* Guardian of Minor Assignee Authorized Representative			
	Signature of Guardian		